भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4447
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत उत्पादन क्षमता

4447. श्री इमरान मसूदः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2015 से देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 से विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या हाल के वर्षों में कोयले के आयात के कारण विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) तक कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का वर्षवार विवरण **अनुबंध** पर है।

(ख) : भारत सरकार ने वर्ष 2014 से देश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) मार्च, 2014 में 2,48,554 मेगावाट से फरवरी, 2025 तक 4,70,448 मेगावाट तक संस्थापित क्षमता में वृद्धि, जिसमें इस अवधि के दौरान कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की संस्थापित क्षमता 1,39,663 मेगावाट से बढ़कर 2,15,193 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) (बड़े हाइड्रो सहित) की स्थापित क्षमता 75,519 मेगावाट से बढ़कर 2,14,678 मेगावाट हो जाना शामिल है।

(ii) देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,740 मेगावाट विद्युत पहुंचाने की क्षमता के साथ 2,01,088 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइन, 7,78,017 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता का संवर्धन।

(iii) सौर, पवन, पम्प भंडारण संयंत्रों और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से उत्पन्न विद्युत के पारेषण पर आईएसटीएस प्रभारों में छूट।

(iv) नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण दायित्व ट्रेजेक्टरी वर्ष 2029-30 तक।

(v) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण तथा 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना।

(vi) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।

(vii) एटीएंडसी हानियों में वर्ष 2013-14 के 22.62% से वर्ष 2023-24 में 16.28% तक की कमी। जेनको के सभी मौजूदा भुगतान अद्यतित हैं और जेनको की पिछली बकाया राशि 1,39,947 करोड़ रुपये से घटकर 18,857 करोड़ रुपये हो गई है।

(viii) वर्ष 2019 में, सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपायों जैसे कि बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं (> 25 मेगावाट) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना, जलविद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय, बाढ़ नियंत्रण / भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता, सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता, अर्थात सड़कें / पुल, आदि की घोषणा की। सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता का कार्यक्षेत्र बाद में दिनांक 08.10.2024 को विस्तारित किया गया है जिसमें निम्न शामिल हैं: (क) कूलिंग सब-स्टेशनों के उन्नयन सहित निकटतम कूलिंग बिंदु तक पारेषण लाइन, (ख) रेलवे साइडिंग, (ग) संचार अवसंरचना, और (घ) रोपवे।

(ix) ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले के पारदर्शी आवंटन के लिए शक्ति नीति की शुरुआत की गई। इससे ताप विद्युत संयंत्रों को कुशल घरेलू कोयला आवंटन संभव हुआ और साथ ही विभिन्न संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं का पुनरुद्धार भी सुनिश्चित हुआ।

(x) उत्पादन क्षमता से आगे अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का निर्माण।

(ग) : कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन की लागत कोयले की कीमत और माल ढुलाई की लागत पर निर्भर करती है, तथा सम्मिश्रण के मामले में मिश्रित आयातित कोयले की कीमत पर भी निर्भर करती है। आयातित कोयले की कीमत अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों, उत्पत्ति के स्रोत और समुद्री माल ढुलाई, बीमा आदि जैसे कारकों से जुड़ी होती है जो अंतर्राष्ट्रीय मांग आपूर्ति परिदृश्य के साथ बदलती रहती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक उत्पादन कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार आयातित कोयले का उपभोग करती है।

वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के बीच औसत विद्युत खरीद लागत में 5 पैसे की कमी आई है।

(घ) : भारत सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) निष्पक्ष, तटस्थ, कुशल और सुदृढ़ विद्युत मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए पावर एक्सचेंजों की स्थापना।

(ii) राज्य/केंद्रीय उत्पादन कंपनियों (जेनको) द्वारा घरेलू कोयले के उपयोग में अनुकूलन लाना।

(iii) परिवहन लागत को अनुकूलित करने के उद्देश्य से राज्य/केंद्रीय उत्पादन कंपनियों (जेनको) और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिंकेज स्रोतों को युक्तिसंगत बनाने की अनुमति दी गई है।

(iv) वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत की प्रतिस्पर्धी खरीद को बढ़ावा देने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

(v) आरडीएसएस के तहत कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में कमी से यूटिलिटी के वित्त में सुधार होगा, जो उन्हें प्रणाली को बेहतर ढंग से बनाए रखने और आवश्यकताओं के अनुसार विद्युत खरीदने में सक्षम बनाएगा; जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

(vi) उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की लागत कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मेरिट ऑर्डर डिस्पैच का प्रचालन।

लो.स.अतारां.प्र.सं.-4447

अनुबंध

देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का वर्ष वार विवरण वर्ष 2014-15 से वर्ष 2024-25 तक (फरवरी, 2025 तक)

वर्ष	संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)
2014-15	2,75,895
2015-16	3,06,330
2016-17	3,28,146
2017-18	3,45,631
2018-19	3,57,871
2019-20	3,71,334
2020-21	3,83,521
2021-22	3,99,497
2022-23	4,16,059
2023-24	4,41,970
2024-25 (फरवरी, 2025 तक)	4,70,448

****